न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

सुल्तानराम बनाम सरकार (राज्य)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रा॰पत्र पत्थरगढ़ी अपील - 5/2024	
28-03-25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर को पूर्व आदेशानुसार तहरीर आदेश जारी होकर पत्रावली दिनांक 24-04-2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
24-05-25	पत्रावली पेश हुई। ... उभय ... पीठासीन अधिकारी अवकाश/अनुपस्थित/मीटिंग में दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 16-05-25 को पेश हो।	
16.05.2025	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से बिन्दु संख्या 2 व 3 के सम्बन्ध में पुनः चाही गई वांछित तथ्यात्मक रिपोर्ट जरिये पत्रांक 1450/भू.अ./2025 दिनांक 15.05.2025 के द्वारा प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी पर आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया। जिस पर बहस वकील प्रार्थी एकपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 28.05.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
28.05.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में समय अभाव के कारण निर्णय नहीं सुनाया जा सका। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 30.05.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
30.05.2025	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी में बहस वकील प्रार्थी पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:37:01 IST
Reason: SelfAttested

—लगातार—

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

सुल्तान बनाम मु. सिंह/2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज प्रा०पत्र पत्थरगढ़ी प्रक० - 54/2024
	पत्थरगढ़ी न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार की जाती है। निर्णयानुसार पालना किये जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:57:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	आरसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
54 / 2024	2024 / 212	24.06.2024	30.05.2025

उनवान प्रकरण

सुल्तान राम पुत्र धीसाराम आयु 50 वर्ष जाति अहीर निवासी अरनियां तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0।

––प्रार्थी

बनाम्

भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर, जिला – नीमकाथाना राज0।

––अप्रार्थी

उपस्थित :–

श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 – प्रार्थी की ओर से।
पैरोकार सरकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर–अप्रार्थी की ओर से।

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत राजस्व ग्राम अरनियां तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 1567 रकबा 1.00 हैक्टर भूमि का प्राथी [illegible] खातेदार काश्तकार है। उक्त कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:57:01 IST
Reason: SelfAttested

का विधिवत तरीके से सीमाज्ञान तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश क्रमांक / भू.अ / 29 दिनाक 10.05.2022 की पालना मे दिनाक 17.10.2022 को पटवारी हल्का अरनिया द्वारा किया गया है। सीमाज्ञान रिपोर्ट संलग्न है। प्रार्थी अपनी उक्त वर्णित भूमियो की विधिवत रूपेण पत्थरगढी करवाना चाहता है। मौके पर भूमि खाली पडी है व प्रार्थी की भूमि के कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही है। इसलिए प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि की पत्थरगढी सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार करवाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। जिसकी पत्थरगढी सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 17.10.2022 के अनुसार किये जाने का निवेदन प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना मे अप्रार्थी (तहसीलदार) द्वारा हाजिर अदालत नहीं आने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गईं। प्रकरण में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जॉच रिपोर्ट ली जाने जाने पर जॉच रिपोर्ट जरिये पत्रांक 2980 / भू.अ. / 2024 दिनांक 11.11.2024 व पुनः पत्रांक 1450 / भू.अ. / 2025 दिनांक 15.05.2025 के द्वारा प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अवगत कराया है कि वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 1567 रकबा 1.00 हैक्टर भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार होना तथा उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 17.10.2022 को किया गया था। उक्त भूमि के पडौसी खातेदारान् में उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 2344 गै0 मु0 नदी सिवायचक भूमि दर्ज है व भूमि खसरा नम्बर 1568 की खातेदारी रामा देवी पत्नि चुन्नीलाल जाति बलाई हिस्सा पूर्ण सा0 देह खातेदार व पूर्व दिशा में भूमि खसरा नम्बर 1564 किस्म गै0 मु0 नदी सिवायचक व दक्षिणी दिशा में भूमि खसरा नम्बर 1567 / 2417 चारागाह व भूमि खसरा नम्बर 1566 की खातेदारी गोविन्दराम, शिवराम पुत्र मांगूराम हिस्सा 1 / 2, रमेश, राकेश, शंकरलाल, सुभाष पुत्रगण सीताराम हिस्सा 1 / 4, हरिप्रसाद पुत्र छीतरमल हिस्सा 1 / 4 जाति खाती सा0 देह व पश्चिमी दिशा में भूमि खसरा नम्बर [illegible] की खातेदारी रामा देवी पत्नि चुन्नीलाल जाति बलाई हि0 पूर्ण सा0 [illegible] रिकार्ड है। भूमि खसरा नम्बर 1567 के पडौसी खसरा नम्बरान् के खातेदारों [illegible] साथ किसी प्रकार का विवाद की

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:57:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

स्थिति नहीं है तथा खसरा नम्बर 1567 के सीमाज्ञान के दौरान कृषि भूमि का कम या ज्यादा नहीं होने बाबत अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया है। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वकील प्रार्थी ने सीधे ही बहस सुनी जाने का निवेदन किये जाने पर आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी एक पक्षीय सुनी गई।

दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थरगढी में वर्णित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए कथन किया कि पत्थरगढी करवाये जाने वाले खसरा नम्बर की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादग्रस्त आराजी के मौके पर कोई विवाद या स्थगन इत्यादि नहीं है। जिसकी पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन वकील प्रार्थी के द्वारा किया गया है।

हमने वकील वादी की एकपक्षीय बहस ध्यानपूर्वक सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ग्राम अरनियां तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 1567 रकबा 1.00 हैक्टर की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम रिकार्डेड होना प्रकट होता है। जिसका सीमाज्ञान प्रार्थी के द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश से सम्बन्धित पटवारी हल्का अरनियां के द्वारा दिनांक 17.10.2022 के द्वारा किया जाना प्रकट होता है। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित भूमियों का सीमाज्ञान दिनांक 17.10.2022 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश क्रमांक 29/एल.आर./2022 दिनांक 10.05.2022 की अनुपालना में विधिवत तरीके से पटवारी हल्का अरनियां द्वारा किया जाना स्पष्टतः प्रकट होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी में दर्ज भूमियों का सीमाज्ञान करवा लिये जाने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विधिवत रूप से करवाये गये सीमाज्ञान के अनुसार मौका में पत्थरगढी करवाया जाना न्यायहित में उचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:57:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 को स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पटवारी हल्का अरनियां द्वारा दिनांक 17.10.2022 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक कृषि भूमि खसरा नम्बर 1567 रकबा 1.00 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम अरनियां की पत्थरगढी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढी की फीस भू.अ.निरीक्षक फीस 900/– रूपये एंव दो पटवारियान् की फीस 600/– रूपयें प्रति पटवारी की दर से 1200/–रूपये कुल 2100/– रूपयें जरिये चालान राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर पड़ौसी खातेदारान् को सूचित करते हुए व उनकी उपस्थिति में सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 17.10.2022 के अनुसार बिना सींव डोल को हिलाये (प्रकरण में अंकित खसरा नम्बरान् पर किसी दीगर न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो) पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया जाता है लेकिन प्रश्नगत खसरे के चारों तरफ चारागाह व नदी भूमि स्थित होना प्रमाणित है। अतः राजकीय भूमि के हित संरक्षण का ध्यान तहसीलदार स्वंय रखेगें। उक्त पत्थरगढी इस आदेश की पालना में किसी प्रकार के कब्जे को हटाने/दिलाने की कार्यवाही नहीं की जावेगी। मुताबिक निर्णय पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:57:01 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 30.05.[illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)